



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

4 AASHWIN 1947 (S)

No. 448

RANCHI FRIDAY 26TH SEPTEMBER, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

26th September, 2025

Notification No.- 14/2025 – State Tax(Rate)

S.O. No. 47, Dated 26th September, 2025-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the rate of the state tax of 6 per cent in respect of goods specified in Schedule appended to this notification, that shall be levied on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

S.No.	Tariffitem, Sub-heading, Heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	6815	Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks
2.	69010010	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
3.	69041000	Building bricks
4.	69051000	Earthen or roofing tiles

Explanation.— For the purposes of this notification,—

(a) the expressions "tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification;

(c) the words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 22th day of September, 2025.

[File. No. Va.Kar/GST/07/2016 (Part)]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar
Commissioner,
Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०. 14/2025- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 47, दिनांक 26 सितम्बर, 2025 – झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में 6 प्रतिशत की राज्य कर की दर को अधिसूचित करती है, जो उन वस्तुओं की राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर लगाया जाएगा, जिनका विवरण उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में, टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं हैं, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

अनुसूची

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	6815	फ्लाई ऐश ईटें; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक
2.	6901 00 10	जीवाश्म भस्म या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईटें
3.	6904 10 00	निर्माण ईटें
4.	6905 10 00	मिट्टी या छत की टाइलें

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(क) “टैरिफ मद”, “उप-शीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष और अध्याय का है;

(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची की धारा और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स सहित व्याख्या के नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे;

(ग) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा गया है।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/07/2016 (खण्ड)]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,

आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग।
